# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रामगढ़ शेखावाटी, सीकर (राज.)
# पीठासीन अधिकारीः—श्री मूलचन्द लूणिया (आर. ए. एस.)

प्रार्थना पत्र संख्याः—05 / 2020 दिनांकः—24.12.2020

1. इकबाल पुत्र अलादीन खां जाति कायमखानी निवासी ग्राम होदसर तहसील रामगढ शेखावाटी जिला सीकर राजस्थान।

...........प्रार्थी

**बनाम**

1. तहसीलदार तहसील रामगढ़ शेखावाटी जिला सीकर।

............अप्रार्थी

**प्रार्थना पत्र बाबत संशोधन खाता अन्तर्गत धारा 136 रा.भू. अधिनियम**

उपस्थिति अधिवक्ताः— श्री धन्नाराम सैनी

**—:निर्णयः—**

प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र पेश कर कथन किया कि प्रार्थी के खाते, कब्जे, काश्त की कृषि भूमि खसरा नम्बर 190 रकबा 0.5400 हैक्टेयर, खसरा संख्या 210 रकबा 0.5100 हैक्टेयर, खसरा संख्या 253 रकबा 1.1300 हैक्टेयर किता 3 कुल रकबा 2.1800 हैक्टेयर भूमि में सम्पूर्ण हिस्सा व ख0न0 43 रकबा 3.3300 हैक्टेयर, में 1/2 हिस्सा व ख0न0 44 रकबा 4.0800 हैक्टेयर में से 1/4 हिस्सा व ख0न0 227 रकबा 2.9200 हैक्टेयर मे से 1/4 हिस्सा वाके ग्राम होदसर तहसील रामगढ़ शेखावाटी जिला सीकर राजस्थान में अवस्थित है।

मुझ प्रार्थी का नाम इकबाल खां पुत्र अलादीन खां है तथा प्रार्थी के पहचान पत्र, राशन कार्ड, में भी प्रार्थी का नाम इकबाल खां पुत्र अलादीन खां नाम दर्ज है। प्रार्थी के पिता का नाम अलादीन खां था। प्रार्थी के वोटर—कार्ड एवं राशन कार्ड में भी प्रार्थी के पिता का नाम अलादीन खां दर्ज है। इसके अतिरिक्त प्रार्थी के पिता का राशन कार्ड व पासपोर्ट में अलादीन खां नाम दर्ज है। प्रार्थी का नाम इकबाल खां होने व प्रार्थी के पिता का नाम अलादीन होने के बावजूद भी ख0न0 43 रकबा 3.33 हैक्टेयर हिस्सा 1/2 व ख0न0 44 रकबा 4.0800 हैक्टेयर हिस्सा 1/4 में प्रार्थी का नाम सहवन से व प्रार्थी का उप नाम बल्लु खां व प्रार्थी के पिता का उप नाम दीने खां होने के कारण प्रार्थी का नाम बल्लु खां व पिता का नाम दीने खां गलत रूप से दर्ज हो गया ख0न0 227 रकबा 2.92 हैक्टेयर हिस्सा 1/4 व ख0न0 190,210,253 कुल रकबा 2.18 हैक्टेयर सम्पूर्ण में प्रार्थी के पिता का नाम अलादीन खां होते हुये भी गलत रूप से दीने खां दर्ज हो गया जिसे संशोधित कर प्रार्थी का नाम इकबाल खां व प्रार्थी के पिता का नाम अलादीन खां दर्ज किया जाना न्यायोचित एवं आवश्यक है, प्रार्थी के वोटर—कार्ड, राशन कार्ड एवं उपरोक्त कृषि भूमियो की जमाबन्दी की नकल अवलोकनार्थ सादर प्रस्तुत है।

अतः प्रार्थना पत्र मय शपथ–पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार फरमाया जाकर आराजी खसरा नम्बर 190 रकबा 0.5400 हैक्टेयर, खसरा संख्या 210 रकबा 0.5100 हैक्टेयर, खसरा संख्या 253 रकबा 1.1300 हैक्टेयर किता 3 कुल रकबा 2.1800 हैक्टेयर भूमि में सम्पूर्ण हिस्सा व ख0न0 43 रकबा 3.3300 हैक्टेयर, कुल रकबा 3.3300 हैक्टेयर में 1/2 हिस्सा व ख0न0 44 रकबा 4.0800 हैक्टेयर में से 1/4 हिस्सा व ख0न0 227 रकबा 2.9200 हैक्टेयर मे से 1/4 हिस्सा वाके ग्राम होदसर तहसील रामगढ़ शेखावाटी जिला सीकर राजस्थान में प्रार्थी का नाम इकबाल खां व प्रार्थी के पिता का नाम अलादीन खां दर्ज किये जाने के आदेश न्यायहित में पारित फरमाने की कृपा करें।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये गये। अप्रार्थी संख्या 01 तहसीलदार रामगढ़ शेखावाटी ने तथ्यात्मक रिपोर्ट पेश कर कथन किया कि प्रार्थी का सही नाम इकबाल खां पुत्र अलादीन खां है। अतः उक्त संशोधन किया जाना न्यायोचित

प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र के समर्थन में दस्तावेजात यथा– प्रश्नगत भूमि की नकल जमाबंदी सम्वत 2074–77, राशन कार्ड, वोटर आई.डी. आयकर विभाग द्वारा जारी पैन कार्ड, प्रार्थी की पत्नी का आधार कार्ड, प्रार्थी के पिता अलादीन की वोटर आई.डी., पास–पोर्ट, ग्राम पंचायत द्वारा जारी प्रमाण पत्र आदि दस्तावेजात पेश किये तथा दो स्वतंत्र गवाह मुराद खां व उस्मान खां के शपथ पत्र पेश किये गये।

वकील प्रार्थी की एकपक्षीय बहस सुनी गई। वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र के तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया कि खसरा नम्बर 190 रकबा 0.5400 हैक्टेयर, खसरा संख्या 210 रकबा 0.5100 हैक्टेयर, खसरा संख्या 253 रकबा 1.1300 हैक्टेयर किता 3 कुल रकबा 2.1800 हैक्टेयर भूमि में सम्पूर्ण हिस्सा व ख0न0 43 रकबा 3.3300 हैक्टेयर, कुल रकबा 3.3300 हैक्टेयर में 1/2 हिस्सा व ख0न0 44 रकबा 4.0800 हैक्टेयर में से 1/4 हिस्सा व ख0न0 227 रकबा 2.9200 हैक्टेयर मे से 1/4 हिस्सा वाके ग्राम होदसर तहसील रामगढ़ शेखावाटी जिला सीकर राजस्थान में प्रार्थी का नाम इकबाल खां व प्रार्थी के पिता का नाम अलादीन खां का संशोधन किया जाना प्रार्थनीय है।

वकील प्रार्थी की बहस पर मनन किया गया। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात यथा वोटर आई.डी., आधार कार्ड, परिवार राशन कार्ड, पास–पोर्ट, आदि में प्रार्थी का नाम इकबाल खां पुत्र अलादीन खां ही दर्ज है। प्रार्थी के पिता का के दस्तावेजात में भी उनके पिता का नाम अलादीन खां ही दंर्ज है। अप्रार्थी संख्या 01 तहसीलदार रामगढ़ शेखावाटी द्वारा प्रस्तुत तथ्यात्मक रिपोर्ट से भी साबित होता है कि प्रार्थी का सही इकबाल खां पुत्र अलादीन खां ही है। ग्राम पंचायत खोटिया द्वारा जारी प्रमाण पत्र से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र साबित होता है। इसलिये प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य है।

**—:आदेश:—**

अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 136 एल.आर.एक्ट स्वीकार किया जाकर ग्राम होदसर तहसील रामगढ़ शेखावाटी में अवस्थित कृषि भूमि खसरा नम्बर 227 रकबा 2.92 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 190 रकबा 0.54 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 210 रकबा 0.51 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 253 रकबा 1.13 हैक्टेयर में अंकित इकबाल खां पुत्र दीने खां की जगह इकबाल खां पुत्र अलादीन खां तथा खसरा नम्बर 44 रकबा 4.08 हैक्टेयर तथा खसरा नम्बर 43 रकबा 3.33 हैक्टेयर में अंकित बल्लू खां पुत्र दीने खां की जगह इकबाल खां पुत्र अलादीन खां का संशोधन करने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार रामगढ़ शेखावाटी तदनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद करे। निर्णय आज दिनांक 24.12.2020 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मूलचन्द लूणिया)
उपखण्ड अधिकारी
रामगढ शेखावाटी, सीकर